

## राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : प्रशि./मिड.वा.एजु./2025/159

दिनांक 22/4/25

### संशोधित आदेश

पूर्व में निदेशालय के आदेश क्रमांक 82 दिनांक 03.03.2025 द्वारा वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परन्तु अभ्यार्थियों/कार्मिकों के नाम एवं पदस्थापन स्थान में सहवन से निम्नानुसार अंकित हो गया था, परन्तु निम्नलिखित अभ्यार्थी/कार्मिकों के नाम एवं पदस्थापन स्थान में आंशिक संशोधन निम्नानुसार किया जाता है :-

| क्रम सं० | अभ्यार्थी/कार्मिकों के नाम | पूर्व में जारी आदेश              | संशोधित आदेश                                    |
|----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | मोनिका सोलंकी              | मोनिका सोलानी                    | मोनिका सोलंकी, मथुरादास माथुर हॉस्पिटल, जोधपुर। |
| 2        | अनिता सांखला               | मथुरादास माथुर हॉस्पिटल, जोधपुर। | महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जोधपुर।                 |

अतः उक्त दोनो कार्मिक/अभ्यार्थियों के मासिक वेतन उनके मूल पदस्थापन स्थान से आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(राकेश कुमार गोचर)  
उप निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक 22/4/25

क्रमांक : प्रशि./मिड.वा.एजु./2025/159

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. अधीक्षक, मथुरादास माथुर हॉस्पिटल/ महात्मा गांधी हॉस्पिटल, जोधपुर।
02. संबंधित कर्मचारी .....

उप निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर